

I/417304/2023

भाग-4

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद हाथरस में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बदायूँ (उ०प्र०) द्वारा मथुरा-बरेली मार्ग (एस०एच०-33) वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 530बी किमी० 66 से 123.100 तक सुधार एवं उन्नयन (पैकेज-2) मार्ग चौड़ीकरण में जनपद कासगंज हेतु 12.4681 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1959 वृक्ष एवं 21888 पौधें, जनपद एटा हेतु 5.3244 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 945 वृक्ष एवं जनपद हाथरस हेतु 71.6191 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 8255 वृक्ष एवं 10891 पौधें अर्थात् कुल 89.4116 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 11159 वृक्षों एवं 32779 पौधों के पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/रोड/144204/2021)

राज्य सरकार की सिफारिशें – पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-267/81-2-2023-800(260)/2023 दिनांक 30 अक्टूबर 2023 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर

Signed by आशीष तिवारी

Date: 30-10-2023 17:43:26

Reason: Approved

()

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित

(आशीष तिवारी)

सचिव,

पर्यावरण, वन एवं

जलवायु परिवर्तन विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-पी-267/81-2-2023-800(260)/2023

प्रेषक,

आशीष तिवारी

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 30 अक्टूबर 2023

विषय- जनपद हाथरस में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बदायूं (उ०प्र०) द्वारा मथुरा-बरेली मार्ग (एस०एच०-33) वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 530 बी किमी० 66 से 123.100 तक सुधार एवं उन्नयन (पैकेज-2) मार्ग चौड़ीकरण में जनपद कासगंज हेतु 12.4681 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1959 वृक्ष एवं 21888 पौधे, जनपद एटा हेतु 5.3244 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 945 वृक्ष एवं जनपद हाथरस हेतु 71.6191 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 8255 वृक्ष एवं 10891 पौधे अर्थात् कुल 89.4116 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 11159 वृक्षों एवं 32779 पौधों के पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/रोड/144204/2021)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-1023/11-सी-एफपी/यूपी/रोड/144204/2021 दिनांक 17.10.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हाथरस में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बदायूं (उ०प्र०) द्वारा मथुरा-बरेली मार्ग (एस०एच०-33) वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 530 बी किमी० 66 से 123.100 तक सुधार एवं उन्नयन (पैकेज-2) मार्ग चौड़ीकरण में जनपद कासगंज हेतु 12.4681 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1959 वृक्ष एवं 21888 पौधे, जनपद एटा हेतु 5.3244 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 945 वृक्ष एवं जनपद हाथरस हेतु 71.6191 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 8255 वृक्ष एवं 10891 पौधे अर्थात् कुल 89.4116 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 11159 वृक्षों एवं 32779 पौधों के पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति से सम्बन्धित प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया है।

2- अतः विषयगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by आशीष तिवारी

Date: 30-10-2023 17:43:01

(आशीष तिवारी)

Reason: Approved

सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. वन संरक्षक अलीगढ़ वृत्त अलीगढ़।
3. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक एटा, हाथरस एवं कासगंज।
4. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई बदायूं।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)

सचिव।